इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 440] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 8 अगस्त 2017—श्रावण 17, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2017

आदेश

क्र. एफ-बी-04-08-2017-2-पांच.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 की सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देता है कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भोपाल द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में जारी की गई बीमा पॉलिसी पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क निम्न शर्तों पर समेकित किया जा सकेगा, तथा उसका भुगतान मध्यप्रदेश के किसी भी सरकारी खजाने में किया जा सकेगा:—

(1) ऐसी प्रत्येक पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा यह उपदर्शित किया जायेगा कि उस पर देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान उपर्युक्त रीति से कर दिया गया है, ऐसे पृष्ठांकन केवल इस अधिनियम के अधीन भुगतान की गई समेकित स्टाम्प शुल्क की राशि की सीमा तक किये जा सकेंगे,

(2) इस संबंध में वर्ष 2017-18 के लिए सरकारी खजाने में जमा की गई समेकित रकम रुपए 12 लाख के चालान की प्रति परिक्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक, पंजीयन कार्यालय, भोपाल को दी जायेगी,

(3) अवधि समाप्त होने के तुरन्त बाद न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भोपाल, परिक्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक, पंजीयन कार्यालय, भोपाल को उनके द्वारा उक्त अवधि के दौरान जारी की गई पॉलिसियों के क्रमांक, इनके द्वारा प्रतिभूत की गई राशि एवम् प्रत्येक तिमाही के अन्त में चुकाई गई स्टाम्प शुल्क की सही-सही राशि से संबंधित विवरणी प्रस्तुत करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2017

क्र. एफ-बी-04-08-2017-2-पांच-(30).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-04-08-2017-2-पांच-(30), दिनांक 8 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 8th August 2017

ORDER

No. F. B-4-08-2017-2-V-(30).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), the State Government, hereby directs that the stamp duty chargeable under the said Act on insurance policies issued by New India Insurance Company, Bhopal during the period 2017-18 may be consolidated and paid into any Government Treasury of Madhya Pradesh on the following conditions:—

(1) It shall be indicated by endorsement on each policy of insurance that the Stamp Duty payable thereon has been paid in the aforesaid manner. Such endorsement would be made only to the extent of consolidated Stamp Duty amount paid under this order.

(2) A copy of the Challan of payment of consolidated amount of Rs. 12.00 Lakhs in any Government Treasury of Madhya Pradesh shall be submitted in the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration, Bhopal.

(3) Immediately after the end of the period for which consolidation of duty has been made, the statement consisting of the Policy numbers of sum insured and the exact amount of Stamp Duty paid on the policies at the end of the every quarter shall be submitted to the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration, Bhopal.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.